14.59 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS OF VARIOUS REPORTS OF POLICE COMMISSION

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं भारत सरकार का ध्यान पुलिस कमीशन, जो 15 नवम्बर, 1977 को मुकर्रर किया गया था, की तरफ दिलाना चाहता हूं। इस पुलिस कमीशन के टर्म आफ रफरेन्स में करीब करीब पुलिस से मुताल्लिक तमाम मामलात आ गए थे और इसी वजह से इस की अहमियत भी बहुत ज्यादा थी। पुलिस के महकमें में जो खराबियां हैं और पुलिस के लोगों की जो परेशानियां हैं, उन को देखते हुए हमें उम्मीद थी कि रिपोर्टों पर फौरन अमली कदम उठाया जाएगा क्योंकि पुलिस की हौंसलापरस्ती तसल्लीबख्श न होने की वजह से ही अवाम के यकीन पर भी असर पड़ा है, जिस को खुद पुलिस कमीशन की पहली रिपोर्ट, जो सरकार को 7 फरवरी 1979 को पेश की गई थी, ने भी कबूल किया है। पुलिस कमीशन ने अपनी बाकी सात रिपोर्टें भी हुकूमत को पेश कर दी हैं जिनमें पुलिस की परेशानियों को दूर करने और अवाम में पुलिस के लिए एत्माद बहाल करने के लिए बहुत सी सिफारिशात की हैं। मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि पुलिस कमीशन की रिपोर्टों पर जल्द से जल्द अमल कराया जाए ताकि मुल्क में बढ़ रही ला-कानूनियत पर काबू पाया जा सके और पुलिस की जायज शिकायत को दूर किया जा सके।

[شری رشید مسعود (سہارنپور) :

ڈپٹی اسپیکر صاحب - میں بھارت سرکار کا دھیان پولیس کمیشن جو ۱۵ نومبر ۱۹۷۷ع کو مقرر کیا گیا تھا اس کی طرف دلانا چاہتا ہوں - اس پولیس کمیشن کے ٹرم آف ریفرینس میں قریب قریب پولیس سے متعلق تمام معاملات آگئے تھے اور اسی وجہ سے اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ تھی پولیس کے محکمہ میں بھی جو خرابیاں ہیں اور پولیس کے لوگوں کو جو پریشانیاں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں امید تھی کہ پولیس کمیشن کی رپورٹوں پر فوراً عملی قدم اٹھایا جائے گا - کیونکہ پولیس کی حوصلہ پرستی تسلی بخش نہ ہونے کی وجہ سے ہی عوام کے یقین پر بھی اثر پڑا ہے جس کو خود پولیس کمیشن کی پہلی رپورٹ جو سرکار کو ۷ فروری ۱۹۷۹ع کو پیش کی گئی - نے بھی قبول کیا ہے - پولیس کمیشن نے اپنی باقی سات رپورٹیں بھی حکومت کو پیش کر دی ہیں جس میں پولیس کی پریشانیوں کو دور کرنے اور عوام میں پولیس کے لئے اعتماد بحال کرنے کے لئے بہت سی سفارشات کی ہیں - میری سرکار سے درخواست ہے کہ پولیس کمیشن کی رپورٹوں پر جلد از جلد عمل کرایا جائے تاکہ ملک میں بڑھ رہی لا قانونیت پر قابو پایا جا سکے اور پولیس والوں کی جائز شکایات کو دور کیا جا سکے -]

(ii) NEED FOR CREATION OF A SEPARATE MINISTRY AND MAKING FIRM POLICY FOR MAINTENANCE OF ANCIENT MOVEMENTS

15 hrs.

श्री भीखा भाई (बांसवाड़ा): मैं भारत सरकार का ध्यान एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय के बारे में दिलाना चाहता हूं। भारतीय संस्कृति एवं भारत को, एक समय यहां के धार्मिक केन्द्रों, तीर्थों तथा चमत्कारिक आकाशीय शक्तियों से सम्पन्न मंदिरों के कारण जाना जाता था। आज हमारे तीर्थों, धार्मिक केन्द्रों एवं अन्य सांस्कृतिक धरोहरों का भविष्य खतरे में दिखाई देता है। वैज्ञानिक औद्योगिक प्रगति ने हमारे मस्तिष्क पर कुछ ऐसा प्रभाव जमाया है कि हम उन धार्मिक धरोहरों को सहेज रख सकने में अक्षम साबित होने लगे हैं जिससे